संख्या-1395/2025/675/22-2-2023-17(437)/2020

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर, 2025*

विषय:- नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी गीता देवी पत्नी श्री अशोक, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी गीता देवी पत्नी श्री अशोक, ग्राम-नदगवां, थाना-खेडा राठौर जनपद-आगरा का निवासिनी है। महिला बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 16.02.2013 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर एवं आग लगाकर रीमादेवी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-525/2013 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-01, आगरा के आदेश दिनांक 28.07.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 17.07.2022 तक 09 वर्ष, 02 माह, 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष, 10 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी की उम्र 35 वर्ष तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी गीता देवी (बन्दी संख्या-2403) पत्नी श्री अशोक, निवासी जनपद-आगरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1395/2025/675(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in